

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 97 / 2022

दायर दिनांक : 12 / 12 / 2022

निर्णय दिनांक : 26 / 11 / 2025

उनवान

1. प्रकाश चन्द्र पिता बोट लाल जाति जाट निवासी भानियाखेडी मजरा आकोला तहसील भूपालसागर
2. राधेश्याम पिता बोट लाल जाति जाट निवासी भानियाखेडी मजरा आकोला तहसील भूपालसागर
3. पारस बाई पत्नि बोट लाल जाति जाट निवासी भानियाखेडी मजरा आकोला तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. ऊकार लाल पुत्र हजारी जाति जाट निवासी भानियाखेडी मजरा आकोला तहसील भूपालसागर
2. छोगा लाल पुत्र हजारी जाति जाट निवासी भानियाखेडी मजरा आकोला तहसील भूपालसागर
3. नोली बाई पत्नि हजारी जाति जाट निवासी भानियाखेडी मजरा आकोला तहसील भूपालसागर
4. हीरालाल पुत्र कालु जाति जाट निवासी भानियाखेडी मजरा आकोला तहसील भूपालसागर
5. लक्ष्मण पुत्र कालु जाति जाट निवासी भानियाखेडी मजरा आकोला तहसील भूपालसागर
6. गणेश पिता कालु जाति जाट निवासी भानियाखेडी मजरा आकोला तहसील भूपालसागर
7. छोगा लाल पिता कालु जाति जाट निवासी भानियाखेडी मजरा आकोला तहसील भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री पवन जायसवाल, वादी अधिवक्ता

:: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:-

यह कि मौजा भनियाखेडी पटवार हल्का आकोला के हल्क बैरुनी मे के हाज खाता संख्या 105 के हाल आराजी नम्बर 366 रकबा 0.12 है 0 आराजी नम्बर 371 रकबा 0.11 है 0 आराजी नम्बर 372 रकबा 0.04 है 0 आराजी नम्बर 423 रकबा 0.13 है 0 आराजी नम्बर 424 रकबा 0.17 है 0 आराजी नम्बर 425 रकबा 0.26 है 0 आराजी नम्बर 586 रकबा 0.03 है 0 आ 0 आराजी नम्बर 587 रकबा 0.54 है 0 आराजी नम्बर 588 रकबा 0.40 है 0 आराजी नम्बर 589 रकबा 0.24 है 0 रास्ता आराजी नम्बर 7514/591 रकबा 0.12 है 0 आराजी नम्बर 7515/590 रकबा 0.09 है 0 कुल किता 12 रकबा 2.25 है 0 लगानी 15.66 रूपये स्थित है हम वादी संख्या 1 व 2 का 2/15वां हिस्सा व वादी संख्या 3 का 1/15 हिस्सा निहीत है। मौजा भनियाखेडी पटवार हल्का आकोला के हल्क बैरुनी मे के हाल खाता संख्या 103 के हाल आराजी नम्बर 186 रकबा 0.55 है 0 आराजी नम्बर 255 रकबा 0.29 है 0 आराजी नम्बर 270 रकबा 0.04 है 0 रास्ता आराजी नम्बर 301 रकबा 1.04 है 0 आराजी नम्बर 341 रकबा 0.42 है 0 आराजी नम्बर 342 रकबा 0.29 है 0 आराजी नम्बर 574 रकबा 0.03 है 0 आराजी नम्बर 575 रकबा 0.03 है 0 आराजी नम्बर 591 रकबा 0.18 है 0 कुल किता 10 रकबा 3.17 है 0 लगानी 22.93 रूपये स्थित है हम वादी संख्या 1 व 2 का 1/5 वा हिस्सा व वादी संख्या 3 का 1/10 हिस्सा निहीत है तथा मौके पर अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हो काश्त कर रहे जो बिना बटवाडे की अराजीयात है वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की है। वादगत आराजीयात राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज हाने से लगान जमा कराने मे व फसल उपज लेने व अपने नाम से सरकारी अनुदान प्राप्त करने व सीमांकन का पक्षकारान के बिच विवाद बना रहता है इसके कारण आये दिन मेरे पानी रूख दरख को लेकर अनावश्यक विवाद बना रहता है इसलिए वादीगण अपने हिस्से का बंटवाडा कब्जे क आधार पर बटवाडा करा अलग से खाताबन्दी करा तदनुसार लगान बन्दी भी अलग से कायम कराना चाहता है और वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से आने हक हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। अतः वादपत्र चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित उक्त आराजीयात का वादीगण के हिस्से अनुसार बटवारा करा राजस्व रेकार्ड मे

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर



वादीगण के नाम अलग से खाते दर्ज कराये जाने की डिग्री बहस वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण फरमाई जावे।

इस बाबत प्राथमिक डिग्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिदस एण्ड वाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिग्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.04.2024 के द्वारा तहसीलदार, भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिदस एण्ड वाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु भेजा गया। तहसीलदार, भूपालसागर के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को अग्रिम सूचना पत्र जारी कर पटवार हल्का एवं भू अ. निरीक्षक, आकोला के साथ राजस्व रिकार्ड व मौका निरीक्षण कर बंटवारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक/भू.अ./2025/1165 दिनांक 09.10.2025 से प्रेषित किया गया, जो शामिल पत्रावली है। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं अंतिम डिग्री जारी की जावे। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंड्राज करने के आदेश दिये जाते हैं। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा -

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा (हेक्टर)	लगान
1	राधेश्याम, प्रकाशचंद पिता बोटलाल, श्रीमती पारसबाई पत्नि स्व० बोटलाल जाट सा. भानियाखेडी	255	0.2900	0.72
		301/1	0.5200	1.56
		341	0.3000	6.30
		575	0.0300	—
		423	0.1300	0.39
		586	0.0300	—
		587	0.5400	11.34
		7	1.8400 है.	20.65
	योग			
2	राधेश्याम, प्रकाशचंद पिता बोटलाल, पारसबाई पत्नि स्व० बोटलाल 89/406, गणेशलाल, छोगालाल, लक्ष्मणलाल, हीरालाल, रामचंद्री पिता कालू 317/406 जाट सा. भानियाखेडी	186	0.5500	3.80
		256	0.4200	2.52
		270	0.0400	—
		301मी	0.5200	3.12
		342	0.2900	6.09
		574	0.0300	—
		591	0.1800	0.54
		7	2.03 है.	15.57
	योग			
3	राधेश्याम, प्रकाशचंद पिता बोटलाल, पारसबाई पत्नि स्व० बोटलाल 1/31 हि.ब. गणेशलाल, छोगालाल, लक्ष्मणलाल, हीरालाल, रामचंद्री पिता कालू 15/31 हि.ब. ऊकारलाल, छोगालाल पिता हजारी, श्रीमति नोलीबाई पत्नि स्व० हजारी 15/31 हि.ब. जाट सा. भानियाखेडी	366	0.1200	0.36
		371	0.1100	0.33
		372	0.0400	0.12
		424	0.1700	0.51
		425	0.2600	0.78
		588	0.4000	1.20
		589	0.2400	—
		7514/591	0.1200	0.36
		7515/590	0.0900	0.27
	योग	9	1.55 है.	3.93

इस आशय की अंतिम डिग्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंड्राज हेतु भेजी जावे। इस बाबत पर्चा डिग्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महेश भगोरिया)
 सहायक कलक्टर एवं
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
 उपखण्ड अधिकारी,
 भूपालसागर